
Point: 208 - Risk Parameter Based Audit Report

Department: Commercial Tax

- (A) Parameters for risk based audit have been decided by CCT/Department. Based on the parameter, batch job is run in backend and the result is uploaded in Database Table. Administrative Order for the same is attached on Page 4/5 of this document. This allows tax audits to be targeted at cases that pose more risk, instead of being conducted uniformly across all businesses.
- (B) The Audit Report so generated is available for Audit Team and Other Officials based Access Permission.
- (C) Screenshot of Risk Based Audit Report for Dealers as in VATIS Application is attached below:

SCREENSHOT 1 : AUDIT TEAM HOME PAGE



SCREENSHOT 2: SELECTION OF REPORT BASED ON REGION / CIRCLE



SCREENSHOT 3: AUDIT REPORT FOR DEALERS

TOTAL RECORDS: 607		FIRST PREVIOUS 1 2 3 4 TO 61 MEXT LAST							GO TO PAGE :- 1		▽ Go
Sr. No.	Assign for Audit	TIN	Dealer Name	Points	Risk Zone	From Date	To Date	Category	Tax Evasion prone Commodities	GТО	Location
1		23590401997	MANI KARN JEWELLERS	0	¥	01/04/2014	31/03/2015	-	9 6	14,35,87,046	Indore Circle-15
2	Г	23020900551	SUNDERAM FINANCE LTD.	0	2	01/04/2014	31/03/2015	2	826	79,38,596	Indore Circle-9
3		23029043012	PRABHAT FUELS	0	ā	01/04/2014	31/03/2015	8	272	5,53,64,484	Indore Circle-2
4	Г	23049041846	ANKIT ENTERPRISES	0	7	01/04/2014	31/03/2015	-	850	1,14,72,133	Indore Circle-11
5		23051403528	M/S DAIMOND STEEL	0	-	01/04/2014	31/03/2015	-	% *	3,52,66,780	Indore Circle-3
6	Г	23069001589	lalji namkeen store indore	0	2	01/04/2014	31/03/2015	9	545	1,81,26,006	Indore Circle-15
7		23079024577	GHORI HARDWARE	0	18	01/04/2014	31/03/2015	- 5:	8.50	1,54,25,425	Indore Circle-1
8	Г	23081303262	M/S ALOK BULK CARRIER	0	+	01/04/2014	31/03/2015	-	38	22,20,75,772	Indore Circle-13
9		23081503761	M/S SHREE SATGURU HARDWARE & PAINTS	0	4	01/04/2014	31/03/2015	4	/ 2	1,75,68,402	Indore Circle-15
10	Г	23099038349	JAI BAJRANG KISAN SEWA KENDRA	0	- 5L.	01/04/2014	31/03/2015	5.	252	4,02,46,201	Indore Circle-13
r not s	selecting other	dealers for aud	t*						Records I	Per Page : 10	Change

कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक 17 / 2014—15 / 15(क) / टै.ऑ. / [उ

इन्दौर, दिनांक ०९ फरवरी, 2015.

प्रति,

संचालक वाणिज्यिक कर, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, (समस्त) संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (समस्त) उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (समस्त) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, (समस्त) वाणिज्यिक कर अधिकारी, (समस्त) मध्यप्रदेश.

विषयः अवधि 2013—14 के प्रकरणों का टैक्स ऑडिट हेतु चयन (पैरामीटर्स)।

वर्ष 2013—14 की अवधि के प्रकरणों को टैक्स ऑडिट हेतु चयन करने के लिए निम्नलिखित पैरामीटर्स निर्धारित किये जाते हैं :—

- 1. जिन व्यवसाईयों का वार्षिक विक्रय वर्ष 2013—14 में रू. 100 करोड से अधिक है तथा इसमें से ऐसे व्यवसाई जिनका स्व—कर निर्धारण हो गया हो तथा स्व—कर निर्धारित ऐसे व्यवसाई जो पुनः कर निर्धारण हेतु चयनित न किए गए हों, उनमें से ऐसे व्यवसाईयों का टैक्स ऑडिट किया जावे, जिनका पिछले तीन वर्षों में टैक्स ऑडिट न हुआ हो।
- 2. वर्ष 2014—15 के विवरणपत्रों में मध्यप्रदेश के पंजीयत व्यवसाईयों से दर्शाई गई खरीदी में से रू. 50 लाख या उससे अधिक की खरीदी का सत्यापन नहीं हुआ हो एवं रू. 2.50 लाख से अधिक राशि के आयटीआर का सत्यापन नहीं हुआ हों, ऐसे व्यवसाईयों के वर्ष 2013—14 की अवधि के प्रकरणों का टैक्स ऑडिट किया जाए। उक्त व्यवसाईयों को माल का विक्रय करने वाले मध्यप्रदेश के पंजीयत व्यवसाईयों में से तीन बड़े व्यवसाईयों का भी टैक्स ऑडिट किया जाए।
- 3. बिल्डर्स / ठेकेदारों एवं बिलिंडग मटेरियल सप्लाई करने वाले सप्लायर्स (सीमेंट को छोड़कर) की टर्नओवर वाइज सूची तैयार की जावें तथा इस सूची में से प्रत्येक कैटेगिरी के 5--5 बड़े व्यवसाईयों का टैक्स ऑडिट किया जावे।
- 4. ऐसे व्यवसाई जिनके प्रकरणों में जांच चौकी से प्राप्त हुए आयात के घोषणा पत्र प्रारूप 49 मे प्रदर्शित राशि की तुलना में कर योग्य विक्रय राशि कम दर्शाई गई हो तथा जिनका सकल आवर्त वर्ष 2013–14 हेतु रू. 10 करोड़ से अधिक हो।
- 5. वेट अधिनियम की धारा—70 के तहत् विवादित वस्तुओं पर दिये गये निर्णय संबंधी व्यवसाईयों की सूची तैयार की जावे तथा इस सूची में से 10 बड़े व्यवसाईयों का टैक्स ऑडिट किया जावें।

निरंतर.....2...

- 6. आयरन एडं स्टील तथा ऑइल निर्माता व्यवसाई जिनका टर्न ओवर रू. 50 करोड़ से अधिक है का टैक्स ऑडिट किया जावें। इस सेक्टर में शीर्ष 5–5 प्रकरणों को लिया जावें।
- 7. धारा 20—ए के तहत् संक्षिप्त कर निर्धारित प्रकरण जिनके टिन की अंतिम संख्या 09 है तथा जिनका टर्न ओव्हर वित्तीय वर्ष में रू. 50 करोड़ से अधिक हैं का टैक्स ऑडिट किया जावे।
- 8. वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 की अवधि के ऐसे प्रकरण जिनमें छापे के दौरान रू. 25 लाख से अधिक राशि का कर अपवंचन पाया गया हो।
- 9. अन्य ऐसे व्यवसाई जिनका टैक्स ऑडिट कराना उपायुक्त ऑडिट विंग उचित समझें। (कारण स्पष्टतः दर्शाते हुए आयुक्त महोदय से अनुमोदन कराया जाए)

(आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित)

(श्रीमंती सुमित्रा वर्मा) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश – इन्दौर